न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 294/2017 दायर दिनॉक 18.10.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र गुला उर्फ गुलाराम, उम्र—66साल, 2. बिरदी पत्नी सेवाराम, उम्र—50साल, 3. गोपाल पुत्र सेवाराम, उम्र—25साल, 4. नारायण पुत्र सेवाराम, उम्र—19साल, 5. पुरणाराम पुत्र सुखाराम, उम्र—55साल, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—रामसाबास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. जबार पुत्र रहमतअली, 2. अब्दुल सलाम पुत्र रहमतअली, 3. अजीज पुत्र रहमतअली, 4. मजीद पुत्र रहमतअली, 5. सईदन पत्नी युसुफ, 6. ईशाक पुत्र हासम, 7. आमना पत्नी युसुफ, 8. अहसान पुत्र युसुफ, 9. असलम पुत्र युसुफ, 10.युसुफ पुत्र युसुफ, 11.रसदी पुत्र युसुफ, 12.स्वालिन पुत्र युसुफ, समस्त,जाति—देशवाली, निवासी—खात्याबासनी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13.सवालिन पुत्र ईसूब, 14.खलील पुत्र ईसूब, 15.सलीम पुत्र ईसूब, 16.नासीर पुत्र ईसूब, 17.जैबुन पत्नी ईसूब, 18.उमर पुत्र इब्राहिम, 19.मुमताज पुत्र इब्राहिम, समस्त,जाति—देशवाली, निवासी—रामसाबास, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 20.मगनी पत्नी नाथुराम पुत्री गुला उर्फ गुलाराम, जाति—मेघवाल, निवासी—काला की ढाणी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 21.ग्यारसी पत्नी रामूराम पुत्री गुला उर्फ गुलाराम, जाति—मेघवाल, निवासी—डिकावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 22.जगदीश पुत्र सेवाराम,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 294/2017
दायर दिनाँक 18.10.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
मोहनराम, वगैरा बनाम् जबार, वगैरा।

		23.भँवरी पुत्री सेवाराम, 24.बाली पुत्री सेवाराम, 25.पाँचू पुत्री सेवाराम, 26.बुल्ली पुत्री सेवाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 27.रीधा पत्नी दानाराम पुत्री लालाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–गुनपालिया, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 28.सोहनी पत्नी स्वर्गीय बेगाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 29.छोटी पत्नी अणजाराम पुत्री सुखाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–बादेड़, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 30.मल्ली पुत्री नून्दा पत्नी खेमाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–आजवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 31.राजस्थान–सरकार जरिये– (अ) जिला कलक्टर, नागौर, (ब) तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 91, 92A 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 294/2017
दायर दिनाँक 18.10.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
मोहनराम, वगैरा बनाम् जबार, वगैरा।

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुसैन, वकील, वादीगण।
2. श्री रघुवीरसिंह शेखावत व श्री सुनील शर्मा, वकुलाय, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 की ओर से।

–::निर्णय ::–

दिनाँक 06.02.2019

वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि, वादी संख्या 01 के पिता स्वर्गीय गुला व वादीगण संख्या 02 ता 05 व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 30 के पूर्वज स्वर्गीय नूना दोनों सगे भाई थे, उनके पिता का नाम बोदूराम था जो संयुक्तरूप से खसरा नम्बर 392 रकबा 19.13 बीघा भूमि शरहद रामसाबास पर काबिज काश्त रहे।

उक्त खसरा के साबिक खसरा नम्बर 455 रकबा 14.14 बीघा व खसरा नम्बर 456 रकबा 04.05 बीघा पड़े। नकलें गिरदावरी सम्वत् 2012–2021 तक पेश है।

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का सदैव कब्जाकाश्त रहा है जिस पर वादीगण ही खेजड़ियों की लूंग वगैरा ली है। साबिक खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 19.13 बीघा भूमि की खातेदारी सम्वत् 2010–13 में इमाम बेटो अलाबक्ष रो 1/4 मु. लाडा पत्नी जाला री 1/4, वजीर वल्द अली रो 1/4 तथा उजीर वल्द नूरा रो 1/4 खातेदारी केवल रिकॉर्ड में ही की गयी जबकि भौतिक रूप से उक्त खसरा की भूमि पर वादीगण के पूर्वज स्वर्गीय गुला व नूना का ही कब्जा काश्त रहा है।

उक्त तत्कालीन खातेदार इमाम बेटो अलाबक्ष व उजीर वल्द नूना दोनों पाकिस्तान चले जाने से उक्त भूमि की 1/2 खातेदारी महकमा कस्टोडियन के नाम से दर्ज हो गयी तथा अन्य खतौनी में दर्ज नाम लाडा पत्नी जाला री तथा वजीर पुत्र अली रो के नाम 1/4 – 1/4 खाते में दर्ज रही परन्तु किसी भी खातेदार ने कभी भी खसरा नम्बर 392 व इसके नये खसरान् की भूमि पर काश्त नहीं की व न ही कभी इनका स्वामित्व रहा, सदैव उक्त भूमि पर वादी पक्ष व उनके पूर्वज ही काबिज रहे।....

प्रार्थना वादीगण है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 294 / 2017
दायर दिनाँक 18.10.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
मोहनराम, वगैरा बनाम् जबार, वगैरा।

वर्तमान खेत खसरा नम्बर 455 रकबा 14.14 बीघा व खसरा नम्बर 456 रकबा 04.05 बीघा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जाकाश्त व हक अधिकार में रहने से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 30 के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 व 31 का नाम खातेदारी से हटाया जावे व वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 20 ता 31 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि, उक्त भूमि खातेदारान् की पैतृक व कब्जाकाश्त की भूमि है जिस पर वादीगण ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जो कि वादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जाकाश्त खातेदारान् का होने के साक्ष्य स्वरूप पड़ौसी, सवालिन, लियाकत अली, मोहम्मद नासिर, इदरीस, मोहम्मद साकिर, बंशीलाल, जेठाराम, बिरमाराम, पन्नालाल के शपथ–पत्र पेश हुए, जिसके अनुसार विवादित जायगा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 के कब्जाकाश्त व स्वामित्व की है।

तहसीलदार डीडवाना से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार, मौतबिरान के बताये अनुसार वादग्रस्त खसरान् पर 50 साल से अधिक समय से वादीगण का कब्जाकाश्त है जो मौके पर वर्तमान में खाली है किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य या फसल बुवाई नहीं की हुई है।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम रामसावास सम्वत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) सम्वत् 2010 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने जरिये वकुलाय के प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि, पक्षकारान् किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश करना नहीं चाहते हैं व वाद में सीधी बहस ही करना चाहते हैं, जिसे

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 294 / 2017
दायर दिनाँक 18.10.2017, निर्णय दिनाँक 06.02.2019
मोहनराम, वगैरा बनाम् जबार, वगैरा।

स्वीकार कर, वाद में विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि, वादग्रस्त जायगा पर वादीगण का लगभग 50 सालों से कब्जाकाश्त है तथा जायगा वादीगण के नाम से घोषणा खातेदारी की जावे। वकील प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि, वादग्रस्त जायगा राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है जिसमें वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा नहीं है वर्तमान में प्रतिवादीगण का ही कब्जाकाश्त है जिसके साक्ष्य सबूत जवाब के साथ पेश है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस वकुलाय पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादीगण ने अपने कब्जाकाश्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिस कारण वादीगण का वाद साबित नहीं होता है, ऐसी स्थिति वादीगण का वाद खारिज किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

आदेश

हस्तगत वाद वादीगण, आधारहीन व सारहीन होने से तथा पोषणीय नहीं होने से, खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 06.02.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय डिप्टी कमिश्नर मुकदमाई
(आर्डर 20, रूल 6, ए सिविल प्रोसीजर)
अपर जिलाधिकारी— सहायक कलेक्टर डीडवाना
मजिस्ट्रेट : श्री उमाशंकर सेवदा, R.A.S.

प्रकरण संख्या: 264 / 2015 दिनांक 18.10.2017

वादीगण

1. मोड़ाराम पुत्र पुसा उर्फ पुलाराम, उम्र–इक्यासी,
2. धेरदी पत्नी सेवाराम, उम्र–अट्ठासी,
3. सोयल पुत्र सेवाराम, उम्र–छत्तीस,
4. नारायण पुत्र सेवाराम, उम्र–उन्नीस,
5. पुनमाराम पुत्र सुखाराम, उम्र–अड़तीस,

समस्त जाति–मेघवाल, निवासी– रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जबर पुत्र रहमतअली,
2. अब्दुल सत्तार पुत्र रहमतअली,
3. अजीज पुत्र रहमतअली,
4. मजीद पुत्र रहमतअली,
5. लईक पत्नी युसुफ,
6. ईशाक पुत्र अलम,
7. अमना पत्नी युसुफ,
8. अहसान पुत्र युसुफ,
9. असलम पुत्र युसुफ,
10. युसुफ पुत्र युसुफ,
11. रसदी पुत्र युसुफ,
12. रमजिन पुत्र युसुफ,

समस्त जाति–मेवाती, निवासी– खातासाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

13. सलादिन पुत्र ईसुफ,
14. खलील पुत्र ईसुफ,
15. लतीफ पुत्र ईसुफ,
16. नासीर पुत्र ईसुफ,
17. जैतुन पत्नी ईसुफ,
18. उमर पुत्र इब्राहिम,
19. मुमताज पुत्र इब्राहिम,

समस्त जाति–मेवाती, निवासी– रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

20. मगनी पत्नी मंगूराम पुत्री पुसा उर्फ पुलाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–कांया की ढाणी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।
21. प्यारसी पत्नी रामूराम पुत्री पुसा उर्फ पुलाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–डिकवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।
22. जगदीश पुत्र सेवाराम,
23. मेंवरी पुत्री सेवाराम,
24. डाली पुत्री सेवाराम,
25. पाँचू पुत्री सेवाराम,
26. बुलसी पुत्री सेवाराम,

समस्त जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

27. रोया पत्नी दानाराम पुत्री लालाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास,

सहायक कलेक्टर
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–गुनपालिया, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 28.सोहनी पत्नी स्वर्गीय बेगाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 29.छोटी पत्नी अणजाराम पुत्री सुखाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–वादेड़, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 30.मल्ली पुत्री नून्दा पत्नी खेमाराम, जाति–मेघवाल, निवासी–रामसाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–आजवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 31.राजस्थान–सरकार जरिये– (अ) जिला कलक्टर, नागौर, (ब) तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 91, 92A 188 R.T.Act.

दिनाँक 06.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री अल्ताफ हुसैन, वकील, वादीगण व श्री रघुवीरसिंह शेखावत व श्री सुनील शर्मा, वकुलाय, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 19 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्तगत वाद वादीगण, आधारहीन व सारहीन होने से तथा पोषणीय नहीं होने से, खारिज किया जाता है।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बावत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner